जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 46 संख्याः 222 प्रभात बीकानेर, मंगलवार 4 मार्च, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

''नार्थ इण्डिया'' के किस हिन्दी भाषी राज्य में कौनसी तीसरी भाषा पढ़ाई जाती है''

स्टालिन ने एक्स पर कटाक्ष किया, क्या तीन भाषा वाला फार्मूला उत्तर भारत के किसी राज्य में लागू होता है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 मार्च। इस समय दक्षिणी राज्यों में कथित रूप से ''भाषाओं को थोपने'' को लेकर चल रही बहस के अन्तर्गत, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आज पलटवार करते हुये एक चुभती हुई बात कह दी। उन्होंने प्रश्न किया कि उत्तर भारत के किस हिन्दीभाषी राज्य में तीसरी भाषा पढ़ाई जाती है?

तीन-भाषा फॉर्मूले की अपनी आलोचना को और भी तीखी बनाते हुए, स्टालिन ने केन्द्र से पूछा कि क्या तीन-भाषा फार्मूला उत्तरी राज्यों में लागू है।

स्टालिन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी तथा आलोचकों के दोहरे मानदण्डों की पोल खोलते हुये कहा कि वे पहले यह क्यों नहीं बताते कि उत्तर भारत में कौनसी तीसरी भाषा पढ़ाई जा रही है।

स्टालिन ने ''एक्स'' पर कहा, ''इकतरफा नीतियों के कुछ हिमायती, बड़े चिन्तित स्वर में पूछते हैं, ''आप तमिलनाडु के विद्यार्थियों को तीसरी भाषा को सीखने का अवसर क्यों नहीं दे रहे हैं?'' तो, ये लोग पहले यह क्यों नहीं बताते कि उत्तर में कौन सी तीसरी भाषा पढ़ाई जा रही है? अगर उन्होंने केवल दो भाषाएं वहाँ अच्छी तरह पढ़ाई हैं तो हमें तीसरी (भाषा) को पढ़ने की जरूरत कहाँ है?''

- इसी लय में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, अगर दो भाषाएं ही ठीक ढंग से पढ़ाई जायें, विद्यार्थियों को तीसरी भाषा सीखने की जरूरत ही नहीं है।
- स्टालिन के बेटे उदयनिधी स्टालिन ने यह भी कहा, कि, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (नई शिक्षा नीति) के जरिये, छद्म रूप से केन्द्रीय सरकार हम पर हिन्दी थोपना चाहती है, जिसे हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
- दूसरी तरफ केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा, कि, नई शिक्षा नीति के तहत, भारत सरकार का आशय है, कि देश की सभी भाषाएं पनपें। हमने नई शिक्षा नीति में कहीं भी नहीं कहा, कि तीसरी भाषा के तहत केवल हिन्दी ही पढ़ाई जायेगी।

मुख्यमंत्री की ये टिप्पणियाँ तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री तथा उनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन के सख्त बयान के बाद आयी हैं, जिन्होंने राज्य में हिन्दी थोपने के केन्द्र के कथित प्रयासों का विरोध किया था।

रविवार को उदयनिधि ने कहा था कि तमिलनाडु नैशनल एजुकेशन पॉलिसी (एन.ई.पी.) या किसी भी रूप में हिन्दी थोपने को कभी स्वीकार नहीं करेगा।

उन्होंने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया था कि एन.ई.पी. के जरिए ''अप्रत्यक्ष रूप से'' हिन्दी को थोपने की कोशिश की जा रही है, जबकि राज्य लम्बे समय से ऐसी नीतियों का प्रतिरोध करता आ रहा है।

तमिलनाडु सरकार ने 2020 की नैशनल एजुकेशन पॉलिसी (एन.ई.पी.) लागू करने का सख्ती से विरोध किया है और इस नीति के ''तीन-भाषा फार्मूले'' को लेकर चिंता जताई है तथा आरोप लगया है कि केन्द्र हिंदी ''थोपना'' चाहता है।

बहस के दूसरे पक्ष में, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने एन.ई.पी. की तीन-भाषा-नीति के पीछे के सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट किया तथा कहा कि नई शिक्षा नीति सभी भारतीय भाषाओं के उत्थान के लिहाज से तैयार की गई है।

प्रधान ने हरिद्वार में कहा, ''नैशनल एजुकेशन पॉलिसी (एन.ई.पी.) 2020 को सभी भाषाओं को महत्व

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पेपर लीक मामले में फरार सुरेश ढाका के भाई की जमानत अर्जी खारिज

जयपुर, 3 मार्च। सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 पेपर लीक मामले में फरार चल रहे सुरेश ढ ाका के भाई कमलेश की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। पीठासीन अधिकारी सुनील रणवाह ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पेपर लीक से जुड़े दो अन्य मामलों में भी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। ऐसे में यदि उसे जमानत दी गई तो वह पुनः समान प्रकृति के अपराधों में लिप्त हो सकता है। इसलिए आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज किया जाता है।

- सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने कहा कि आरोपी पेपर लीक से जुड़े दो अन्य मामलों में भी न्यायिक अभिरक्षा में है इसलिए जमानत अर्जी खारिज की जाती है।

जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण के दस्तावेजों को लेकर विरोधाभास है। प्रार्थी के खिलाफ कोई सीधा साक्ष्य भी नहीं है। उस पर सोवनी कुमारी को प्रश्न पत्र मुहैया कराने का आरोप है और सोवनी को पूर्व में ही जमानत दी जा चुकी है। मामले में उसे केवल सोवनी के साथ मोबाइल वार्ता के आधार पर ही शामिल किया गया है। जिस स्थान पर बस में अभ्यर्थियों को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका ने सोच-समझ कर जाल फेंका था, ज़ैलैंस्की को फंसाने के लिए

पर ट्रम्प-ज़ैलैंस्की प्रकरण से सबसे ज्यादा हानि हुई, तो ट्रम्प को

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 मार्च। गत शुक्रवार को वाइट हाउस में जो हंगामा हुआ, उसने यदि किसी को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है, तो वो हैं डॉनल्ड ट्रंप। इस घटना ने ट्रंप के उस वादे को खारिज कर दिया कि वो एक दिन में हाथ की करामात से यूक्रेन युद्ध खत्म कर देंगे। अब यूक्रेन में युद्ध कहीं अधिक जटिल लग रहा है।

पश्चिमी मीडिया अब ज़ैलैंस्की-ट्रप झड़प के हर संभव परिणाम को बड़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहा है। इस बात की व्यापक निंदा हो रही है कि आक्रामकता का सामना कर रहे एक देश के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। मीडिया में भारी चर्चा है कि अमरीकियों ने यूक्रेन के नेता के लिए जानबूझकर जाल बिछाया था।

मीडिया में यह भी चर्चा है कि इस खेल में अमेरिका, रूस द्वारा रचित नियमों के अनुसार खेल रहा था, रूसी लोग ज़ैलैंस्की को सत्ता में नहीं देखना चाहते। इसलिए उन लोगों ने यह नारा दिया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति अपनी अवधि समाप्त कर चुके हैं इसलिए अब वो लोगों के संवैधानिक प्रतिनिधि नहीं रहे।

- अमेरिका, रूस द्वारा लिखित कथानक के अनुसार खेल रहा था। रूस ने प्रचारित किया था, कि ज़ैलैंस्की का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अतः उन्हें हटाकर यूक्रेन का नया राष्ट्रपति बनाना चाहिये, पर, ट्रम्प-ज़ैलैंस्की झड़प के बाद, अमेरिका का यह ''प्लान'' उजागर हो गया और फेल हो गया।
- साथ ही, ''रेयर अर्थ'' खनिजों को यूक्रेन की भूमि के नीचे से निकालकर, उसका व्यवसायीकरण करने का अमेरिका का इरादा असफल हो गया है।
- ट्रम्प, नोबल का शान्ति पुरस्कार पाने का सपना देखने लगे थे, पर, अब यह स्वप्न ही रह गया है।
- यूक्रेन-रूस युद्ध को खत्म कराने के जो समाधान ट्रम्प प्रस्तावित कर रहे थे, उनमें न ही यूक्रेन का और न ही यूरोप के अन्य देशों का रोल था, पर, अब उल्टा ही हो रहा है। ट्रम्प-ज़ैलैंस्की की झड़प के बाद यूरोप व यूक्रेन मिलकर समाधान ढूंढ रहे हैं, तथा, उनका इरादा अमेरिका को इस बारे में बाद में बताने का है।

ट्रंप, रूस के रुख को, खासकर व्लादिमीर पुतिन के रुख को दोहरा रहे थे। ऐसा लगता है कि अमेरिकियों ने वही मांगा है जो पुतिन ने कहा था- ज़ैलैंस्की के स्थान पर किसी अधिक लचीले व्यक्ति को सत्ता में लाया जाए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विधायक सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव से नाराज विपक्ष ने वॉक आउट किया

मुख्य सचेतक ने कहा कि सदस्यों को सावचेत करने के लिए प्रस्ताव लाया गया है कि बिना तथ्यों के बात सदन में नहीं रखें

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर, 3 मार्च। राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल के विधायक सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा किया और सदन का बर्हिगमन (वॉक आउट) किया।

सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने शून्यकाल में सुभाष गर्ग के खिलाफ यह प्रस्ताव पेश किया, जिसका कांग्रेस विधायकों ने विरोध किया और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आग्रह किया कि इसकी जांच कराकर इसे निरस्त किया जाये और इसे पास नहीं किया जाये। इसके बाद सदन ने इस प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया। इससे पहले जोगेश्वर गर्ग ने यह प्रस्ताव सदन में रखा और कहा कि गत 24 फरवरी को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान भरतपुर के लोहागढ़ किले में रह रहे लोगों को नोटिस दिए जाने के मामले में ग़लत तथ्य प्रस्तुत कर सदन का समय नष्ट किया। उन्होंने कहा कि यह विशेषाधिकारों का हनन है। कांग्रेस विधायकों ने इसका विरोध किया।

- जोगेश्वर गर्ग का कहना था, कि ''विधायक सुभाष गर्ग ने गत 24 फरवरी को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान भरतपुर के लोहागढ़ किले में रह रहे लोगों को नोटिस दिए जाने के मामले में ग़लत तथ्य प्रस्तुत कर सदन का समय नष्ट किया, यह विशेषाधिकारों का हनन है।''

जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि यह मुद्दा सदन में गत 24 फरवरी को आया और सरकार ने तुरंत अधिकारियों से इस बारे में रिपोर्ट मांगी और नगर निगम भरतपुर के सीओ ने एक प्रेस नोट जारी करके इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि जब किले में रहे लोगों को एक भी नोटिस जारी नहीं किया गया तो गलत सूचना को सदन में क्यों उठाया गया।

उन्होंने कहा कि सदन में सदस्यों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'नरेगा लोकपाल की अपील सुनने के लिये प्राधिकरण का गठन क्यों नहीं किया गया?'

जयपुर, 3 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख पंचायती राज सचिव, नरेगा आयुक्त, सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर और जिला परिषद के सीईओ को नोटिस जारी कर पूछा है कि नरेगा लोकपाल के आदेश के खिलाफ अपील सुनने के लिए अपीलीय प्राधिकरण का गठन क्यों नहीं किया गया है। इसके साथ ही, अदालत ने प्रमुख पंचायती राज सचिव को यह बताने को कहा है कि अपीलीय प्राधिकरण का गठन करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। वहीं, अदालत ने मामले में याचिकाकर्ता

- हाई कोर्ट ने पंचायतीराज सचिव, नरेगा आयुक्त तथा सवाई माधोपुर के जिला कलैक्टर व जिला परिषद सीईओ को नोटिस जारी किया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रिपोर्टर्स कलैक्टिव आदि, मीडिया प्लेटफॉर्म का ''नॉन प्रॉफिट'' दर्जा खत्म हुआ

आयकर विभाग का तर्क है, कि, ''पत्रकारिता'' कोई ऐसी गतिविधि नहीं है, जिससे कोई ''सार्वजनिक हित'' होता है, अतः इस खोजी पत्रकारिता का स्तम्भ माने जाने वाली इन संस्थाओं को भी, इन्कम टैक्स देना होगा, और सम्भवतया ''बैक डेट'' से

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 मार्च। डिजिटल मीडिया प्रतिष्ठानों की एक ''अम्बरैला बॉडी'' ने सरकार के इस दावे को चुनौती दी है कि पत्रकारिता आम जनता से जुड़े उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में काम नहीं कर रही, तथा इसे ''लोकतंत्र की बुनियाद के विपरीत एवं बेहद चिंताजनक बताया है।''

सरकार ने कथित रूप से, दो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन्वैस्टिगेटिव जर्नलिज़्म पोर्टल ''रिपोर्टर्स कलैक्टिव'' तथा कन्नड़ वैबसाइट ''फाइल'' का नॉन प्रॉफिट स्टेटस कैंसल करते हुए यह दावा किया था।

डिजिपब न्यूज़ इंडिया फाउन्डेशन ने एक बयान में कहा, ''इस प्रकार के दावे का उपयोग अन्य स्वतंत्र न्यूज़ आउटलैट्स को वित्तीय रूप से निशाना बनाने के लिये किया जा सकता है। अगर सरकार मानती है कि भारत सचमुच लोकतंत्र है, केवल नाम का लोकतंत्र नहीं, तो सरकार को यह आरोप वापस लेना चाहिये।''

- इन संस्थाओं का कहना है, कि, 2025 में उसका गठन हुआ था, तथा उनहें ''नॉन प्रॉफिट संस्था'' का दर्जा देकर आयकर से मुक्त किया था सरकार ने। पर, अब 2025 में यह सुविधा वापस ले ली गई है, क्योंकि पत्रकारिता से कुछ ''सार्वजनिक हित'' (पब्लिक परपस) सिद्ध नहीं होता।

इन दोनों प्रतिष्ठानों का नॉन-प्रॉफिट स्टेटस इसलिए निरस्त किया गया, क्योंकि सरकार ने कथित रूप से यह तर्क दिया कि पत्रकारिता कोई ऐसा काम नहीं है, जिसका जनहित में कोई उद्देश्य हो।

अलाभकारी समाचार प्रतिष्ठान, ''द रिपोर्टर्स कलैक्टिव'' ने 25 जनवरी को अपनी वैबसाइट पर एक बयान जारी करते हुये यह घोषणा की थी कि आयकर विभाग ने उसका ''नॉन प्रॉफिट'' दर्जा निरस्त कर दिया है । द रिपोर्टर्स कलैक्टिव 2021 में शुरु हुआ था।

रिपोर्टर्स कलैक्टिव के बयान में कहा गया था, ''इन्कम टैक्स अधिकारियों ने हमारा, ''नॉन प्रॉफिट स्टेटस'' निरस्त कर दिया है तथा कहा है कि पत्रकारिता कोई सार्वजनिक प्रयोजन का कार्य नहीं करती, इसलिए भारत में इसे अलाभकारी कवायद के रूप में क्रियान्वित नहीं किया जा सकता।''

सोमवार को डिजिपब ने रिपोर्टर्स कलैक्टिव पर टैक्स अधिकारियों की टिप्पणी का उल्लेख किया और कहा कि दिल्ली स्थित रिपोर्टर्स कलैक्टिव, जो खोजी पत्रकारिता करता है, को दिये आदेश में विभाग ने कहा था कि ''इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य पत्रकारिता को आगे बढ़ाना तथा क्रियान्वित करना है।..... आवेदक यह सिद्ध करने में असमर्थ रहा है कि इसकी गतिविधियाँ किस तरह जनता के लिये उपयोगी तथा फायदेमंद हैं।''

''डिजिपब'' ने अपने बयान में कहा, ''इसका अर्थ यह हुआ कि 2021 से चल रहे सार्वजनिक वित्त पोषित गैरलाभकारी ट्रस्ट, रिपोर्टर्स कलैक्टिव को अब टैक्स से छूट नहीं मिलेगी। जिस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की मांग

नयी दिल्ली, 03 मार्च। कांग्रेस ने आदिवासी समाज के साथ न्याय नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वन भूमि पर उनके अधिकारों को छीनकर उनके साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर इस समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन डॉ विक्रांत भूरिया ने सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में

- आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन डॉ. भूरिया ने कहा कि आदिवासियों की समस्या पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित करना चाहिये।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान व तेलंगाना 1600 मेगावाट की थर्मल परियोजनायें लगायेंगे

मुख्यमंत्री भजनलाल की उपस्थिति में सिंगरेनी कोलियरीज़ व राजस्थान विद्युत उतपादन निगम में एमओयू हुआ

जयपुर, 3 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने प्रदेश में सुदृढ़ प्रसारण तंत्र एवं थर्मल और अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन दूरगामी निर्णयों से राजस्थान जल्द ही देश में ''ऊर्जादाता'' की भूमिका में उभरेगा। उन्होंने कहा कि राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरवीयूएनएल) तथा केन्द्र सरकार और तेलंगाना सरकार के उपक्रम सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के बीच संपादित हुआ एमओयू प्रदेश में बिजली उत्पादन एवं आपूर्ति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लिमिटेड एंव राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मध्य आयोजित समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही राजस्थान सौर ऊर्जा में अपार संभावनाओं वाले राज्य के रूप में उभर रहा है। जल्द ही राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के किसानों को 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में नीतिगत निर्णय लेते हुए उनका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित भी कर रही है।

- मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि तेलंगाना में लगने वाली 1600 मेघावाट की परियोजनाओं में दोनों राज्यों को 800-800 मेगावाट बिजली मिलेगी।
- एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम में तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, तेलंगाना के ऊर्जा सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया, आरवीयूएनएल के सीएमडी देवेन्द्र श्रृंगी, सिंगरेनी कोलियरीज के सीएमडी एन. बलराम, राजस्थान के मुख्यमंत्री के सचिव आलोक गुप्ता व अन्य उच्च अधिकारी शामिल थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लिमिटेड एंव राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मध्य आयोजित समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर कार्यक्रम को संबोधित किया।

शर्मा ने कहा कि एमओयू के तहत 1600 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित परियोजनाएं तेलंगाना में स्थापित होंगी। इसमें से 800-800 मेगावाट बिजली तेलंगाना एवं राजस्थान दोनों राज्यों को मिलेगी। इसके अतिरिक्त राजस्थान में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए आरवीयूएनएल ने भूमि भी चिन्हित कर ली है। इस पार्क में लगभग 6 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इन सभी परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 22 हजार करोड़ रुपये है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 में राजस्थान द्वारा 2030

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को 17 मार्च को तलब किया

जयपुर, 3 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीबीआई की ओर से संसाधनों की कमी का हवाला देकर बजरी खनन से जुड़े मामलों की जांच करने में असमर्थता जताने को गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही, अदालत ने सीबीआई निदेशक को 17 मार्च को तलब किया है। अदालत ने कहा कि निदेशक व्यक्तिशः या वीसी के जरिए अदालत में हाजिर हों। जस्टिस समीर

- बजरी खनन के मामलों की जाँच, संसाधनों की कमी के कारण नहीं कर पाने की सीबीआई की दलील को हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया और निदेशक को व्यक्तिगत रूप से या वीसी के जरिए उपस्थित होने को कहा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)